

पत्रांक:- 1509/25 बजट (प्रतिकर भुगतान-रा0से0)/2018-19  
सेवा में,

दिनांक:- 14.12.2018

मुख्य अभियन्ता,  
क्षेत्रीय कार्यालय,  
लो0नि0वि0, नई टिहरी/पौड़ी/पिथौरागढ़।

विषय:- वित्तीय वर्ष 2018-19 में अनुदान संख्या-22, लेखाशीर्षक-5054 (पूँजीगत) सड़क/भवन एवं सेतुओं के भूमि प्रतिकर, भू-अर्जन तथा क्षति प्रतिकर भुगतान हेतु आवंटन।

सन्दर्भ: शासनादेश संख्या-1502/111 (2)/18-02 (बजट)/2018 दिनांक-09.04.2018

उपर्युक्त सन्दर्भित शासनादेश दिनांक 09.04.2018 के द्वारा वित्तीय वर्ष 2018-19 में अनुदान संख्या-22, लेखाशीर्षक-505404337040024 (पूँजीगत) सड़क/भवन/पुल आदि हेतु भूमि अधिग्रहण मद में ₹ 30.00 करोड़ की धनराशि अवमुक्त की गई है। योजनान्तर्गत शासन द्वारा अवमुक्त धनराशि के सापेक्ष वर्तमान में उपलब्ध धनराशि तथा फील्ड अधिकारियों के द्वारा विभिन्न प्रकरणों में भू-अर्जन, भूमि प्रतिकर भुगतान तथा क्षतिप्रतिकर भुगतान हेतु सूचित घनावंटन की माँग के कम में वित्तीय वर्ष 2018-19 में संलग्न सूचीनुसार (12 प्रकरण में) प्रकरणवार/खण्डवार कुल ₹ 2.2954241 करोड़ (₹ दो करोड़ उनतीस लाख चौवन हजार दो सौ इकतालीस मात्र) की धनराशि निम्नवर्णित शर्तों के अन्तर्गत आवंटित की जाती है।

आवंटन की शर्तें (1) संलग्न सूचीनुसार आवंटित धनराशि के सापेक्ष सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ताओं द्वारा प्रतिकर/मुआवजे/फसल/फलदार वृक्षों की क्षतिप्रतिकर का भुगतान जिलाधिकारी/उद्यान विभाग द्वारा निर्धारित दरों पर सम्बन्धित पक्षों को दिनांक 28.02.2019 से पूर्व नियमानुसार सुनिश्चित किया जायेगा, आवंटित धनराशि का भुगतान सम्बन्धित कास्तकारों को किये जाने से पूर्व वास्तविक स्वामित्व व निर्धारित दरों आदि का मली-भौति जाँच व परीक्षण सुनिश्चित कर लिया जायेगा।

(2) सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ताओं द्वारा संलग्न सूचीनुसार प्रकरणवार/खण्डवार आवंटित भू-अर्जन/भूमि प्रतिकर/क्षति प्रतिकर धनराशि का भुगतान सम्बन्धित कास्तकारों/पक्षकारों के पक्ष में नियमानुसार एवं अविलम्ब न किये जाने तथा आवंटित धनराशि का भुगतान सम्बन्धित कास्तकारों/पक्षकारों को विलम्ब से किये जाने के फलस्वरूप यदि सम्बन्धित कास्तकारों/पक्षकारों द्वारा संशोधित दरों अर्थात् बढ़ी हुई दरों के आधार पर प्रतिकर भुगतान की जाती है तो संशोधित वृद्धि हेतु सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता पूर्णतः उत्तरदायी माने जायेंगे।

(3) सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ताओं द्वारा संलग्न सूचीनुसार प्रकरणवार/खण्डवार आवंटित धनराशि का व्यय किये जाने से पूर्व यह भी सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि आवंटित धनराशि का प्राविधान सम्बन्धित कार्यों/मार्गों के मूल आगणन में सम्मिलित नहीं था और न ही उक्त प्रतिकर भुगतान हेतु किसी अन्य योजना/मद में सम्बन्धित प्रतिकर भुगतान के लिये वित्तीय उपलब्धता थी।

(4) आवंटित धनराशि का निर्धारित समयान्तर्गत भुगतान न किये जाने, धनराशि लैप्स किये जाने, डुप्लीकेट भुगतान, दरों से अधिक भुगतान तथा नियमविरुद्ध किये गये भुगतान हेतु सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता ही पूर्ण रूप से उत्तरदायी माने जायेंगे।

(5) संलग्न सूचीनुसार वर्णित कार्य वर्तमान में किन्ही कारणों से अन्यत्र खण्ड में हस्तान्तरित हो गये हो अथवा इन कार्यों में प्रतिकर का भुगतान पूर्व में किया जा चुका हो तो आवंटित धनराशि पूर्ण विवरण सहित एक सप्ताह के अन्तर्गत इस कार्यालय को तत्काल वापस कर दी जाय।

(6) व्यय करने से पूर्व जिन मामलों में बजट मैनुअल वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत शासकीय अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति की आवश्यकता हो, उनमें सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति भी प्राप्त कर ली जाय। कार्य कराते समय टैण्डर विषयक नियमों का भी अनुपालन कर लिया जायेगा।

(7) उक्त संदर्भित शासनादेश दिनांक 09.04.2018 में निहित समस्त शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(8) इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2018-19 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-22, लेखाशीर्षक 5054 सड़कों एवं सेतुओं पर पूँजीगत परिव्यय-04 जिला तथा अन्य सड़कें-337 सड़क निर्माण कार्य-04 सड़क/भवन/पुल आदि हेतु भूमि अधिग्रहण 00-24 वृहत्त निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

संलग्न: कार्यवार/खण्डवार आवंटन सूची (2 पृष्ठ)

प्रमुख अभियन्ता (विभागाध्यक्ष)

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) महालेखाकार भवन, पो0ओ0-सब पोस्ट मास्टर, पेट्रोलियम संस्थान कौलागढ़ देहरादून।
- 2- अपर मुख्य सचिव, लोक निर्माण विभाग उत्तराखण्ड शासन देहरादून।
- 3- जिलाधिकारी, उत्तरकाशी/नई टिहरी/चमोली/पौड़ी/पिथौरागढ़।
- 4- वित्त नियंत्रक, कार्यालय प्रमुख अभियन्ता (विभागाध्यक्ष) लो.नि.वि. उत्तराखण्ड देहरादून। साख-सीमा जारी करने हेतु।
- 5- अधीक्षण अभियन्ता सिविल वृत्त लोक निर्माण विभाग .....
- 6- वरिष्ठ स्टाफ आफिसर, (नोडल, वनभूमि प्रकरण/भूमि अध्याप्ति) कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, लो0नि0वि0 देहरादून।
- 7- अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय/निर्माण/अस्थाई खण्ड लोक निर्माण विभाग .....
- 8- आई0टी0 सेल कार्या. प्रमुख अभियन्ता (विभागाध्यक्ष) लो.नि.वि. देहरादून को सूचनार्थ एवं विभागीय ऑनलाईन बेबसाईट में अपलोड कराये जाने हेतु।

संलग्न: कार्यवार/खण्डवार आवंटन सूची (2 पृष्ठ)

प्रमुख अभियन्ता (विभागाध्यक्ष)

1.T  
Upload  
2018  
19.12.18  
(देवेन्द्र शाह)  
अधिशासी अभियन्ता

पत्र संख्या 1509/25 बजट (प्रतिकर भुगतान-रा0से0)/2018-19

दिनांक 14/12/2018 का संलग्नक।

वित्तीय वर्ष 2018-19 में सड़कों तथा सेतुओं के भूमि प्रतिकर, भू-अर्जन एवं क्षति प्रतिकर आदि के भुगतान हेतु आवंटन।

अनुदान संख्या- 22,

लेखाशीर्षक 5054-04-337-04-00-24

(पूजीगत)

(धरराशि लाख ₹ में)

क्र0 सं0	मार्ग/प्रकरण का नाम	खण्ड का नाम	अनुमोदन/स्वीकृति का संदर्भ	अधीक्षण अभियन्ता द्वारा अनुमोदित लागत	वित्तीय वर्ष 2018-19 में आवंटन
1	2	3	4	5	6
1	जनपद उत्तरकाशी के विकासखण्ड डुण्डा के अन्तर्गत जड़ी-दुमका-रनाडी-अवाली जोशियाडा मोटर मार्ग के निर्माण से प्रभावित होने वाली छानों का प्रतिकर भुगतान। योग, प्रान्तीय खण्ड उत्तरकाशी	प्रा0ख0 उत्तरकाशी	अधीशासी अभियन्ता, प्रा0ख0 लो0नि0वि0 उत्तरकाशी का पत्र संख्या 3661/1 सी0 दि0 25.09.2018	5.67	5.67
2	जनपद उत्तरकाशी के विधानसभा क्षेत्र यमुनोत्री के विकास खण्ड चिन्वालीसौड के अन्तर्गत कोटधार से युरोपी मोटर मार्ग के निर्माण कार्य से अध्याप्त/क्षतिग्रस्त भूमि, फसल, पेड़ों का प्रतिकर भुगतान।	नि0ख0 चिन्वालीसौड	अधीक्षण अभियन्ता, छठवाँ वृत्त लो0नि0वि0 उत्तरकाशी का पत्र संख्या 3844/90 सी-06/18 दि0 26.10.2018	5.34707	5.34707
3	जनपद उत्तरकाशी के विधानसभा क्षेत्र यमुनोत्री के विकास खण्ड चिन्वालीसौड के अन्तर्गत छेजुला से कवाटा मोटर मार्ग के निर्माण से अध्याप्त क्षतिग्रस्त भूमि, फसल एवं पेड़ों का प्रतिकर भुगतान। योग, निर्माण खण्ड चिन्वालीसौड	नि0ख0 चिन्वालीसौड	अधीक्षण अभियन्ता, छठवाँ वृत्त लो0नि0वि0 उत्तरकाशी का पत्र संख्या 3801/90 सी-06/18 दि0 26.10.2018	19.96265	19.96265
4	जनपद उत्तरकाशी के अन्तर्गत सारीगाड-कण्डारी मोटर मार्ग निर्माण कार्य से क्षतिग्रस्त भूमि व वृक्षों का प्रतिकर भुगतान।	नि0ख0 बड़कोट	अधीक्षण अभियन्ता, छठवाँ वृत्त लो0नि0वि0 उत्तरकाशी का पत्र संख्या 3409/85 सी-06/2018 दि0 24.08.2018	1.33200	1.33200
5	जनपद उत्तरकाशी के विकास खण्ड नौगांव में विश्व बैंक पोषित योजना के अन्तर्गत नौगांव-पुरेला मोटर मार्ग के किमी0 3 में कमल नदी पर ग्राम थली के साडा नामें तोक में 54 मी0 स्थान (चयनित स्थान 48 मी0) स्टील गार्डर मोटर सेतु के निर्माण हेतु नापभूमि अधिग्रहण का प्रतिकर भुगतान। योग, निर्माण खण्ड बड़कोट	नि0ख0 बड़कोट	अधीक्षण अभियन्ता, छठवाँ वृत्त लो0नि0वि0 उत्तरकाशी का पत्र संख्या 4993/85 सी-06/2018 दि0 14.11.2018	1.01956	1.01956
6	जनपद टिहरी गढ़वाल के विधानसभा क्षेत्र धनौन्टी के विकासखण्ड धौलधार में स्यांसू पुल से रतवाडी खोली मोटर मार्ग के किमी0 0 से 5.625 के अन्तर्गत ग्राम रतवाडी की सामूहिक सिंचाई योजना हेतु निर्मित गूल, नहर गूल का प्रतिकर भुगतान। योग, निर्माण खण्ड चम्बा	नि0ख0 चम्बा	अधीक्षण अभियन्ता, आठवाँ वृत्त लो0नि0वि0 नई टिहरी का पत्र संख्या 6321/1(11) सी0-8/18 दि0 16.10.2018	6.30	6.30
7	जनपद टिहरी गढ़वाल के अन्तर्गत खरसाडा-कोठी-जखण्ड-दिवाली मोटर मार्ग के किमी0 3 से 5 से 5 तक भूमि अध्याप्त एवं दबान क्षति का प्रतिकर भुगतान।	नि0ख0 नरेंद्रनगर	अधीक्षण अभियन्ता, आठवाँ वृत्त लो0नि0वि0 नई टिहरी का पत्र संख्या 6796/161(3) सी0-8/18 दि0 30.10.2018	44.51	44.51
8	जनपद टिहरी गढ़वाल के अन्तर्गत तैला-खांडखोला नगर होते हुये कोटेश्वर महादेव मोटर मार्ग के निर्माण कार्य का प्रतिकर भुगतान। योग, निर्माण खण्ड नरेंद्रनगर	नि0ख0 नरेंद्रनगर	अधीक्षण अभियन्ता, आठवाँ वृत्त लो0नि0वि0 नई टिहरी का पत्र संख्या 7090/161(3) सी0-8/18 दि0 29.11.2018	27.92	27.92
				72.43	72.43

